Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- पुष्कर नगर परिषद जिला अजमेर में कनिष्ठ अभियंता 2.00 लाख रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार।

जयपुर, 21 फरवरी शुक्रवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी भीलवाड़ा–प्रथम द्वारा आज कार्यवाही करतें हुए आरोपी **श्री रामनिवास मीणा पुत्र श्री रतीराम मीणा उम्र 46 वर्ष निवासी खेडली कलां तहसील महुआ पुलिस थाना मंडावर जिला दौसा हाल कनिष्ठ अभियंता नगर परिषद पुष्कर जिला अजमेर** को परिवादी से उसके द्वारा पुष्कर नगर परिषद क्षेत्र में करवाये गये कार्यो के भुगतान से संबंधित बिलो पर हस्ताक्षर कर आगे एईएन व कमिश्नर का भिजवाने के एवज में बिलो की कुल भुगतान राशि 12,33,000/– रूपये व पूर्व में करवाये गये कार्यो का हो चुके भुगतान राशि 8,50,000/–रूपये कुल राशि 20,83,000/– की 10 प्रतिशत के हिसाब से 2.00 लाख रूपये स्वंय के लिये तथा सहायक अभियंता श्री मुकेश चौहान हाल स्वायत शासन विभाग राजस्थान जयपुर (एपीओ) के लिए उससे क्वालिटी कंटोल रिपोर्ट व मौके के फोटोग्राफ पर हस्ताक्षर करवाने की एवज में 5 प्रतिशत रिश्वत राशि के हिसाब से कुल 60,000/– रूपये कनिष्ठ अभियंता श्री रामनिवास द्वारा रिश्वत की मांग की गई। मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 16.02.2025 को श्री रामनिवास कनिष्ठ अभियंता ने 2.00 लाख रूपये रिश्वत स्वंय के लिए तथा 50,000/– रूपये रिश्वत राशि दिनांक 16.02.2025 को ही ग्रहण कर सहायक अभियंता श्री मुकेश चौहान हाल स्वायत शासन विभाग, राजस्थान जयपुर (एपीओ) को दिलवायी गयी। श्री रामनिवास मीणा कनिष्ठ अभियंता नें आज दिनांक 21.02.2025 को रिश्वत राशि मांग के अनुसरण में परिवादी को 2.00 लाख रूपये रिश्वत राशि लेकर पुष्कर बुलाया तथा **2.00 लाख रूपये** रिश्वत राशि अपने चचेर भाई श्री महेश मीणा पुत्र श्री कंचनराम मीणा उम्र 35 वर्ष निवासी खेडली कलां तहसील महुआ पुलिस थाना मंडावर जिला दौसा हाल जमादार नगर परिषद पुष्कर जिला अजमेर को दिलवाये जो मौके से उक्त रिश्वत राशि लेकर फरार हो गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की चौकी भीलवाड़ा–प्रथम कों एक शिकायत इस आशय की मिली की परिवादी द्वारा करवाये गये कार्यो के भुगतान से संबंधित बिलों पर हस्ताक्षर कर आगे एईएन व कमिश्नर को भिजवाने की एवज में बिलो की कुल भुगतान एवं पत्रावली उच्च अधिकारियों तक भिजवाने की एवज में 2.60 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांगकर परेशान किया जा रहा था।

जिस पर एसीबी रेंज अजमेर **के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालुराम रावत** के सुपरविजन में ए.सी.बी. चौकी भीलवाड़ा–प्रथम के **उप अधीक्षक पुलिस श्री पारसमल** के नेतृत्व में आज दिनांक 21.02.2025 को मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री रामनिवास मीणा पुत्र श्री रतीराम मीणा उम्र 46 वर्ष निवासी खेडली कलां तहसील महुआ पुलिस थाना मंडावर जिला दौसा हाल कनिष्ठ अभियंता नगर परिषद पुष्कर जिला अजमेर को 2.00 लाख रूपये रिश्वत राशि परिवादी से अपने चचेरे भाई श्री महेश मीणा हाल जमादार नगर परिषद पुष्कर जिला अजमेर को दिलवायी गयी जो उक्त रिश्वत राशि को लेकर फरार हो गया जिसकी एसीबी द्वारा तलाश की जा रही है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।